न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4371

नंदकिशोर वल्द हुकुमचंद गौर आयु 67 वर्ष कृषक

निवासी ग्राम आवंरी तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदक/याचिकाकर्ता

बनाम

लोकेश वल्द अनिरूद्ध

निवासी ग्राम हिरनखेडा तह0 डोलरिया जिला होशंगाबाद.....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका माननीय अपर कलेक्टर होशंगाबाद के न्यायालय के प्र0 क0 1बी/121/16–17 आदेश दिनांक 27.7.17 के विरूद्ध उत्पन्न अधीक्षक भू अभिलेख के सीमांकन नं0 2553/13 आदेश दिनांक 4.6.15 से हुई है के विरूद्ध निम्न तथ्यो व आधारो पर पेश है–

तथ्य

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम मिसरोद की भूमि ख0नं0 313/1 रकबा 1 एकड भूमि 16.4.2003 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अशोक कुमार वल्द बद्रीप्रसाद कुर्मी से वंदेमातरम शिक्षा एवं जनकल्याण संस्था मिसरोद द्वारा क्रय की है ओर खरीदने पश्चात खरीदशुदा भूमि एक एकड पर कब्जा प्राप्त कर वर्ष 2003 में ही खरीदशुदा भूमि की बाउंडी वाल बनाई गई है आवेदक खरीदी दिनांक से ही काबिज है ओर खरीदशुदा ाूमि पर वंदेमातरम जन कल्याण शिक्षा संस्था द्वारा स्कूल का निर्माण किया है जिसमें विधिवत अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के न्यायालय कसे भूमि का डायवर्सन 1.7.2006 को कराया जाकर संबंधित सभी विाागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर खरीदशुदा भूमि पर स्कूल का निर्माण कार्य किया है और कक्षा 1 सें 12 तक स्कूल संचालित है। आवेदक द्वारा जब उसके द्वारा भममि ख0 नं0 313/1 खरीदी पश्चात अनावेदक व उसके की उपस्थिति में नपती कराई गई नक्शा ले आउट डाला गया ओर खरीदशुदा भूमि की चारो तरफ की बाउंडी वाल बनाई गई ओर अनावेदक द्वारा इसके पूर्व भी कई बार सीमांकन हेतु आवेदन दिये परंतु चकबंदी एवं समरूपण कार्य भूमि में हुआ है जिससे कार्यालय में जारी आदेश में नक्शा एवं मौके का मिलान तथा चकबंदी अभिलेख का मिलान न होने से सीमाकंन किया जाना संभव नही है का प्रतिवेदन दिया गया एवं इसी प्रकार पूर्व में ाी सीमांकन आवेदन जो कि चकबंदी होने नक्शा मौका का मिलान नही होने से नही किया जा सका। लेकिन अब अवैधानिक रूप से बगैर किसी आधार के मेढ तिमेढी चांदा मुनारा न मिलने से और मौके पर है ही नही के बाबजूद मनमाने तरीके से अनावेदक से सांठगांठ कर आवेदक के पीठ पीछे उसे बगैर कोई सूचना दिये सीमांकन किया गया है जो कि रिकार्ड से हटकर है के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा किये गये सीमांकन आदेश व फील्ड बुक नकशा पंचनामा प्रतिवेदन के संबंध में स्वमेव निगरानी में लिये जाने बाबत रिवीजन पेश किया जो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकार किया जाकर दर्ज किया गया व बाद में बगैर किसी आधार के 27.7.15 को पुनरीक्षण अधिकारिता नही होने के कारण निरस्त कर दिया जबकि संहिता के तहत स्वमेव निगरानी में लिये जाने बाबत ही रिवीजन पेश किया गया था के आधार पर दर्ज हुआ ओर स्वमेव निगरानी लिये जाने बाबत अधिकारिता कलेक्टर महोदय को है के बाबजूद विधि विरू0 रूप से रिवीजन खारिज किया गया के विरू0 निम्न आधारो पर पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4371

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीक्षक, भू-अभिलेख के आदेश दिनांक 4-6-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31-10-2017 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें अधीक्षक, भू-अभिलेख के आदेश की जानकारी दिनांक 28-1-16 को प्राप्त होना बताया गया है । यदि अपर कलेक्टर के समक्ष गलत निगरानी प्रस्तुत होने में लगी समयावधि 1-9-17 से नकल मिलने की दिनांक 11-10-17 का समय कम भी कर दिया जाये, तो भी इस न्यायालय में यह निगरानी समय बाह्य है । आवेदक द्वारा इस विलम्ब का कोई कारण भी नहीं बताया गया है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	